तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
30.4.14	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। प्रा० पत्र 07 R 11 CPC के जवाब/बहस हेतु पत्रावली दि० 12.5.14 को पेश हो। ह०
12.5.14	[illegible] गया। [illegible] पूर्वानुसार दिनांक 21.5.14 को पेश [illegible] प्रा० पत्र आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० पेश किया गया [illegible] ह०
21.5.14	वकुलाय फरीकैन उपस्थित। प्रतिवादी नं० 5 की ओर से दिनांक 11.4.14 को प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी० पी० सी० इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी द्वारा यह दावा खि० आ० नं० $\frac{26}{0.50}$, $\frac{198}{0.30}$ वाके ग्राम नीमकी तह० नगर के विभाजन बाबत प्रस्तुत किया है। उक्त खि० आ० से वादी ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा दि० 15.7.10 को प्रति० नं० 5 कली मैंहमूद को जरिए रजि० बयनामा विक्रय कर मौके पर कब्जा दे दिया है। तभी से प्रति० नं० 5 क्रयशुदा हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करता चला आरहा है। वादी का खि० आ० से कोई सम्बंध किसी प्रकार का नहीं है न ही कब्जा काश्त है। इसलिए वादी को कोई विनाय मुखासमत पैदा नहीं होती है। वादी ने प्रति० के पक्ष में हुए उक्त-बयनामा को अमल न करवाने की गरज से यह फर्जी दावा प्रस्तुत किया है। अतः प्रा० पत्र स्वीकार कर दावा खारिज फरमाया जावे। उक्त प्रार्थना-पत्र की वादी वकील को नकल [illegible] पर्याप्त अवसर दिये [illegible] करने हेतु [illegible] जवाब [illegible] नियम 11 [illegible] अन्तर्गत आदेश 7 [illegible] उक्त [illegible] के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध समस्त अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादी द्वारा हस्तगत वाद-

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 13:12:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उस्मान ये० कारतम वगै०

दावा सं० 11/13

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
वि० आ० ख० नं० $\frac{26}{0.50}$, $\frac{198}{0.30}$ वाके ग्राम नीमली तह० नगर के विभाजन हेतु स्वार्ड रिपोर्ट पत्रावली पर दिनांक 29.8.13 के न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया है। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नकल जमाबंदी सं० 2068-71 के अनुसार वादी उस्मान का ख०नं० $\frac{26}{0.50}$ में 1/15 हि० तथा ख०नं० $\frac{198}{0.30}$ में 1/48 हि० दर्ज रिकार्ड है। जबकि प्रतिवादी अली मोहम्मद द्वारा अपने प्र०पत्र के समर्थन में प्रस्तुत नकल बयनामा दिनांक 15.7.10 के अवलोकन से यह साबित होता है कि वादी उस्मान वल्द कदलू ने ख०नं० $\frac{26}{0.50}$ का 1/15 हिस्सा तथा ख०नं० $\frac{198}{0.30}$ का 1/48 हि० प्रार्थी/प्रति० अली मोहम्मद वल्द मोहन खाँ के पक्ष में विक्रय कर मौके पर कब्जा सम्भला दिया है। इस प्रकार वादी का वि०आ० में कोई हक अधिकार शेष नहीं रहे हैं ऐसी स्थिति में जब वह वि० आ० का खातेदार ही नहीं रहा तो विभाजन कराने का अधिकार भी नहीं है ना ही उसे कोई वाद कारण उत्पन्न होता है। इस प्रकार प्रार्थी/प्रति० अली मोहम्मद का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः आदेश है कि –	
प्रार्थी/प्रतिवादी अली मोहम्मद का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा० दी० स्वीकार किया जाकर दावा वादी बाबत आ० ख० नं० $\frac{26}{0.50}$, $\frac{198}{0.30}$ वाके ग्राम नीमली तह० नगर खारिज किया जाता है। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो।	
(हरिराम आदित्य) उपखण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर) राज०	
आदेश आज दिनांक ... लिखाया जाकर खुले ... सुनाया गया।	
(हरिराम आदित्य) उपखण्ड अधिकारी नगर (भरतपुर) राज०	

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 13:12:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner